


न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर खंडपीठ रीवा म.प्र.

प्र.क. / 2016



R5134-III/16

राजकुमारी गौतम पति स्व. देवेन्द्र गौतम उम्र 57 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.प्रार्थिया/निगराकार

R5-301-

बनाम्

- 1- अंकिता सिंह पिता श्री दिलीप सिंह गोंड उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम रिमार थाना सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.
- 2- रामशरण गौतम पिता श्री राजकुमार गौतम उम्र 80 वर्ष पेशा सेवानिवृत ग्रामसेवक निवासी ग्राम सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.
- 3- शैलेश पिता श्री रामाधार पाण्डेय निवासी ग्राम सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.

.....गैरप्रार्थीगण/गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क. 48 अ - 3/13-14 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

वी.कल्याण... द्वारा आज दिनांक 14-3-15 प्रस्तुत किया गया।
सिद्ध
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

प्रार्थिया/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

विनयी है कि -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि -

यह कि गैरनिगराकार क. 1 ने वादग्रस्त भूमि खसरा क. 787/15 रकबा 0.036 हे. यानी 9 डिसमिल के पूर्व भूमिस्वामी जितेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद काछी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कुंदरी थाना सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म. प्र. से जरिये विक्रय पत्र मुबलिक 15,000 रु. में क्रय कर उपपंजीयक कार्यालय जयसिंहनगर में उपस्थित होकर ग्रंथ क. 259 दिनांक 21.04.2014 को विक्रय पत्र में चौहददी दर्शित करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया था और विक्रय पत्र

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

राज कुमारी2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

61

प्रकरण क्रमांक R5134-II/16

जिला-शहडोल

राजकुमारी गौतम/ अंकिता सिंह गोड

(1)	(2)	(3)
05/8/19 A.	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जयसिंहनगर के प्रकरण क्रमांक 48/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	